संख्या- 1177/26-2-2014-100(1)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 20 मई, 2014

विषयः- वर्ष 2014-15 से समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-264/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 07 फरवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किये गये है।

2- समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हो, उनके माता अथवा पिता को समाजवादी पेंशन प्रदान किये जाने में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2014 के प्रस्तर-5.1.2 तथा 5.2.2 में योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का संशोधित वरीयता क्रम निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः-

प्रस्तर-5.1.2-ग्रामीण क्षेत्र

(1) जो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हो एवं समाजवादी पेंशन योजना के लिए अनर्ह न हो।
(2) जो भूमिहीन हो।
(3) जो ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013'' के अन्र्तगत चिन्हित स्वच्छकार हो।
(4) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।
(5) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।
(6) ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हो।
(7) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रस्तर-5.2.2- शहरी क्षेत्र

(1) जो रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हो एवं समाजवादी पेंशन योजना के लिए अनर्ह न हो।

(2) जो ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम-2013'' के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार हो।

(3) जो दैनिक मजदूरी/खोमचा या फेरी वाला हो।

(4) जिसकी मुखिया एकल महिला (विधवा/तलाकशुदा) हो।

(5) जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो और विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत हो।

(6) ऐसे विकलांग बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और उनके माता-पिता समाजवादी पेंशन प्राप्त करने के मानक पूर्ण कर रहे हो।

(7) जिनके पास स्वयं का आवास न हो।

(8) अन्य पात्र अभ्यर्थी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-1177(1)/26-2-2014-100(1)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग।
4- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
7- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
8- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
10- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

राम गोपाल मौर्य
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in